



Neutral Citation No- 2026:AHC:16439

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 776/2026

पूनम यादव

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अवधेश कुमार यादव

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. यादव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा को सुना।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि 2022 की रिट ए संख्या 2829 दिनांक 03.08.2023 में पारित इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, प्रांतीय रक्षक दल के सभी स्वयंसेवकों को होमगार्ड के स्वयंसेवकों के बराबर दैनिक मजदूरी का हकदार माना गया है और राज्य द्वारा 2023 की विशेष अपील संख्या 633 के रूप में एक अंतर-न्यायालय अपील को प्राथमिकता दी जा रही है, निर्णय के प्रभाव और संचालन पर बने रहते हुए, पैराग्राफ 9 के माध्यम से डिवीजन बेंच (न्यायमूर्ति माननीय एस.डी. सिंह की अध्यक्षता में) ने इस प्रकार निर्धारित किया:

"9. वर्तमान में यह एक अंतरिम उपाय के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जो राज्य अपीलकर्ता द्वारा मूल याचिकाकर्ताओं को 01.04.2025 से उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स को भुगतान की जा रही दर पर पारिश्रमिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का भुगतान करने के अधीन है, ताकि बकाया, यदि कोई हो, का भुगतान 30.06.2025 तक किया जा सकता है, और उस दर पर प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को भुगतान करना जारी रखा जा सकता है, इसके बाद, आक्षेपित आदेश 03.08.2023 का प्रभाव और संचालन अन्य बकाया और अन्य दावों के रूप में रोक लगा दिया जाएगा।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त फैसले के खिलाफ संजय कुमार और अन्य लोगों द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अनुग्रह देने से इनकार कर दिया और केवल लंबित विशेष अपील के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश दिया। आगे यह तर्क दिया गया है कि जिला युवा कल्याण और राज्य विकास कार्य अधिकारी, प्रयागराज ने विशेष अपील के अंतिम परिणाम के अधीन डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन के लिए 21.08.2025 को एक परिपत्र जारी किया है।

4. दिए गए तथ्यों और परिधि में, याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक उचित प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया जाता है ताकि इस तरह के अभ्यावेदन की प्रस्तुति के दो महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करके याचिकाकर्ता के दावे के मामले में निर्णय लिया जा सके।

5. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस याचिका का निस्तारण किया जाता है।

22 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)